न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—27/2019 (2019/00081)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 | दर्ज दिनांक 23.09.2019

अनवान

1. रामलाल पिता भैरा उर्फ भैरूलाल जाट निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती बाली बेवा भैरूलाल जाट निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

——विपक्षी

अधिवक्ता प्रार्थीगण : श्री मुकेश चौधरी
विपक्षी : पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट ::

निर्णय दिनांक:—29.01.2021

:: निर्णय::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर प्रार्थी संख्या एक के पिता एवं प्रार्थी संख्या 2 के पति के नाम पर राजस्व ग्राम कोशीथल मे स्थित साबिक राजस्व खात संख्या 280 में वर्णित साबिक आराजी संख्या 3048/737 रकबा 5 बीघा भूमि भैरूलाल पिता भूरा दादा पन्ना जाट सा0 देह खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काष्त की भूमि दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में साबिक जमाबंदी की नकल साथ संलग्न है।

यह कि राजस्व ग्राम कोशीथल का भू—प्रबंध हुआ और भू—प्रबंध के दौरान साबिक आराजी संख्या 3048/737 रकबा 5 बीघा के नवीन आराजी संख्या [illegible]0 रकबा 0.72 हे0, भूमि कायम किये प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत 2071 से 2074 एवं मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:12:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

1.

Scanned with CamScanner

यह कि साबिक आराजी संख्या 3048/737 रकबा 5 विघा भूमि का जो राजस्व ग्राम कोशीथल में स्थित है उसका सेटलमेन्ट हुआ और सेटलमेट वालो ने मनमकसूद तरीके के बिना विधिक अधिकारों एवं बिना किसी प्रभावी आदेश के आराजी संख्या 3048/737 रकबा 5 बीघा भूमि के स्थान नवीन आराजी संख्या 1110 रकबा 0.72 हे0 कायम किया जबकि हम प्रार्थीगण के पिता व पति के नाम पर साबिक आराजी संख्या 3048/737 रकबा 5 बीघा भूमि थी तथा उसी अनुरूप प्रार्थी का करीब 40 वर्षो से अधिक समय से कब्जा था जो मौके पर आज भी मौजूद है जिससे नवीन आराजी संख्या 1110 का रकबा 1.08 हे0 कायम किया जाना चाहिये था जिसके स्थान पर सेटलमेन्ट वालो ने कम रकबा नक्शे का छोटा कर दिया जिससे न्यायहित में साबिक आराजी संख्या 3048/737 रकबा 5 बीघा भूमि के अनुरूप आराजी संख्या 1110 का रकबा 1.08 हे0 भूमि किया जाना एवं उसी अनुरूप नक्शे को दुरूस्त किया जाना आवष्यक एवं न्यायोचित है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी के विरूद्ध आदेश फरमाया जावे कि ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल की सीमा में स्थित आराजी संख्या 3048/737 रकबा 5 बीघा भूमि के अनुरूप आराजी संख्या 1110 का रकबा 1.08 हे0 भूमि किया जाना एवं उसी अनुरूप नक्शे को दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया जो सूचना होने के बावजूद विपक्षी पेरोकार उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर प्रा0पत्र की पेरा संख्या 1 आंशिक स्वीकार की हैं क्योंकि आराजी सं0 2037 से 2040 में भैरूलाल के खाता सं. 280 मे आराजी नं0 3048/737/1क दर्ज है। पेरा संख्या 2 रेकार्ड अनुसार स्वीकार है। पेरा संख्या 3 साबिक 5 बीघा का हे0 में रकबा 1.08 हे0 होता है। शेष प्रार्थी सिद्ध करावे। पेरा सं0 4 लगायत 7 न्यायिक है। पेरा संख्या 8 मे प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया कि साबिक रकबा 5 बीघा के मुकाबले प्रार्थी के खाते में आ0नं0 1110 रकबा 0.72 हे0 दर्ज किया है तो शेष रकबा 0.36 हे0 वर्तमान किस आराजी में मिलाया गया है जिसे कम कर वादी के खाते में दर्ज किया जावे। अतः प्रकरण खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर से उक्त प्रार्थना पर पर मौका रिपोर्ट तलब की गई जो इस प्रकार है:—

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:12:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मौके रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 1110 रकबा 0.72 हे0 रामलाल पिता भैरूलाल 3/4 बाली बेवा भेरूलाल 1/4 जाट सा0 देह रतन बीआरआरजीबी शाखा कोशीथल के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी नं0 1111/6811 रकबा 0.43 हे0 बिलानाम का0का0 दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की आराजी रकबा बराबरी की गई। यह आराजी का रकबा 0.80 हे0 आता है। शेष रकबा 0.28 हे0 का अराजी नं0 1111/6811 बिलानाम में कब्जा है। मौके पर उक्त आराजीयात रकबा 1.08 हे0 के चारो आरे थोहर बाड़ लगी हुई है। मौके अनुसार आराजी नं0 1110 व बिलानाम 1111/6811 रकबा 0.43 हे0 में से 0.28 हे0 भूमि आपस में मिली होकर 1.08 हे0 भूमि एक ही चक होकर थोहर बाड़ लगी हुई है।

प्रार्थीगणअधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमे आम सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर निवेदन किया । बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। चूंकि तहसीलदार सहाड़ा की मौके रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 1110 रकबा 0.72 हे0 रामलाल पिता भैरूलाल 3/4 बाली बेवा भेरूलाल 1/4 जाट सा0 देह रतन बीआरआरजीबी शाखा कोशीथल के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी नं0 1111/6811 रकबा 0.43 हे0 बिलानाम का0का0 दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की आराजी रकबा बराबरी की गई। यह की आराजी नं0 1110 का रकबा 0.80 हे0 आता है। शेष रकबा 0.28 हे0 का अराजी नं0 1111/6811 बिलानाम में कब्जा है। मौके पर उक्त आराजीयात रकबा 1.08 हे0 के चारो आरे थोहर बाड़ लगी हुई है। मौके अनुसार आराजी नं0 1110 व बिलानाम 1111/6811 रकबा 0.43 हे0 में से 0.28 हे0 भूमि आपस में मिली होकर 1.08 हे0 भूमि एक ही चक होने से बिलानाम 1111/6811 रकबा 0.43 हे0 में से 0.28 हे0 भूमि किया जाकर आराजी नं0 1110 में मिलाया जाकर आराजी संख्या 1110 का रकबा 1.08 हे0 किया जाकर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

:: आदेश::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सहाड़ा को ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल की हाल आराजी नं0 1110 रकबा 0.80 हे0 में बिलानाम आराजी नं0 1111/6811 रकबा 0.43 हे0 में से 0.28 हे0 भूमि मिलाकर आराजी नं0 1110 का रकबा 1.08 हे0 दर्ज करने व उसी अनुरूप नक्शे को दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) [illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.))

(विकास [illegible] पंचोली) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 16:12:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner